(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2495–दो/2015, विरूद्ध आदेश दिनांक 18–06–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील बड़नगर, जिला–उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–13/2013–2014

.....

1– राजकुंवरबाई पत्नी सबलसिंह
2– विक्रमसिंह पिता सबलसिंह
3– सावंतसिंह पिता सबलसिंह
4– राजेन्द्रसिंह पिता सबलसिंह
5– यशपालसिंह पिता पदमसिंह
समस्त निवासीगण–ग्राम मलोड़ा,
तहसील बड़नगर, जिला–उज्जैन(म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

सजनसिंह पता अजय सिंह
निवासी– ग्राम मलोड़ा,
तहसील बड़नगर, जिला–उज्जैन(म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील बड़नगर, जिला–उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मलोड़ा तहसील बड़नगर स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 600/1, 600/2,

600/3, एवं 601 पर आने–जाने हेतु मार्ग खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तर्क में कहा कि धारा 131 सहपठित धारा 32 के प्रावधान के अनुसार संक्षिप्त जांच की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया व मौके पर उपस्थित पंचों से पूछताछ की व स्थल निरीक्षण में अनावेदक द्वारा जो वैकल्पिक मार्ग बताया वह मौके पर नहीं पाया जबकि आवेदकगण द्वारा बताए गए मार्ग पर रास्ते के चिन्ह पाए गए, उसके उपरांत भी आवेदकगण का धारा 32 का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकों ने दूसरे सरहदी कृषकों की भूमि से होकर अपने भूमि पर फसल बो दी है यदि उसे रास्ता नहीं दिया गया तो फसल को काट नहीं सकेगा।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापति प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने स्वयं स्थल निरीक्षण करने एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों एवं तर्कों के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन निरस्त किया है। तहसीलदार ने यह भी माना है कि बोवनी होने से परिस्थिति स्पष्ट नहीं है तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है। आवेदकगणों ने तर्क के समय स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा भूमि पर फसल बो दी है। बिना वैकल्पिक मार्ग के किसी भूमि पर फसल बोना संभव नहीं है, उक्त स्थिति में अंतरिम रास्ते दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन को अमान्य करने में भी तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। अतः तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष के विधिवत साक्ष्य लेकर अधिकतम तीन माह में प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर